

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
F.S.S.Act Case No. 20/2025

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म की  
तामिलमें जारी हुए

06-5-2025

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरौही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही द्वारा दिनांक 27-5-2024 को मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरौही में प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से बनी मिठाई) का नमूना संख्या S-2340, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर:1110F/FSSA/2024 दिनांक 28-11-2024 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 02-5-2025 को प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित को दिनांक 02-5-2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह बाहर से कच्चा मावा लाकर कलाकन्द बनाता है, जिसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है। यह उसका प्रथम अपराध है। उसने दुकान बन्द कर दी है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।


हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही, दिनांक 27-5-2024 को समय 01-15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर एक स्टील की ट्रे में लगभग 6 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) आमजन के बिक्री हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री

.....लगातार

पति. जिला बरिस्टर  
सिरौही-307001.





तारिख हुकम	<p style="text-align: center;"><b>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> <b>F.S.S.Act Case No. 20/2025</b></p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमे जारी हुए</p>
	<p>अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को जमा करवाया। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2340 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./851/Act/2024/ 879 दिनांक 07-6-2024 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना संख्या S-2340 असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सवाईसिंह द्वारा खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2340 की रेफरल लेब से जांच हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-2340 को जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर में भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक: <b>1110F/FSSA/2024</b> दिनांक 28-11-2024 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरौही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध, चीनी से निर्मित मिठाई) (नमूना संख्या S-2340) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 10-6-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ. दिनेश राय सापेला)    <b>ज. जिला मजिस्ट्रेट</b>  <b>सिरौही-307001</b></p>	

